न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 29/2021 **दायर दिनांकः 03/08/2021**

उनवान

1. सीता बाई आयु 66 वर्ष पत्नि बद्रीप्रसाद जाति तेली निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थियाः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश दिनाकः 18/11/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थिया ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल अटरू पटवार हल्का अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 482 के ख0न0 333 का रकबा 2.83 है० आराजी प्रार्थिया एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। जिसमें प्रार्थिया का हिस्सा 1/2 दर्ज खाता है। नवीन नकल जमाबन्दी साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा प्रार्थिया के पति का नाम बद्रीप्रसाद के स्थान पर बद्रीलाल गलत दर्ज कर दिया है। प्रार्थिया के दस्तावेजों आधार कार्ड, जनआधार , पहचान पत्र एवं ग्राम अटरू की दूसरी जमाबन्दी खाता संख्या 610 में प्रार्थिया के पति का सही नाम सीताबाई पत्नि बद्रीप्रसाद दर्ज है। इसलिए प्रार्थिया के पति का नाम बद्रीलाल के स्थान पर सही नाम बद्रीप्रसाद दर्ज किया जावे। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया के पति का नाम बद्रीलाल के स्थान पर सही नाम बद्रीप्रसाद दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित

आराजी में प्रार्थिया के पति ा कनाम सही दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा अस्तु प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया के पति का नाम बद्रीलाल के स्थान पर सही नाम बद्रीप्रसाद दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद न० 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया के पति का नाम बद्रीलाल के स्थान पर बद्रीप्रसाद दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पेश नही करने पर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। साक्ष्य प्रार्थिया के अन्तर्गत PW_1 व PW_2 का शपथ पत्र पेश किया गया। अभिभाषक प्रार्थिया की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया के पति का नाम बद्रीलाल के स्थान पर बद्रीप्रसाद दर्ज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2073–2076 ग्राम अटरू की खाता संख्या 482 के ख0न0 333 का रकबा 2.83 है० में प्रार्थिया का नाम सहखातेदार के रूप में सीताबाई पत्नि बद्रीलाल दर्ज है। ग्राम अटरू कें खाता संख्या 610 ख0नं0 348 रकबा 1.60 है0 आराजी सीताबाई पत्नि बद्रीप्रसाद के दर्ज खाता स्थित है। अन्य प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड में प्रार्थिया का नाम सीताबाई पत्नि बद्रीप्रसाद दर्ज है। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड आदि दस्तावेजों में प्रार्थिया के पति का नाम बद्रीप्रसाद पुत्र कल्याण दर्ज है। अतः रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 482 के

ख0न0 333 का रकबा 2.83 है० में प्रार्थिया सहखातेदार सीताबाई पत्नि बद्रीलाल के स्थान पर सीताबाई पत्नि बद्रीप्रसाद उर्फ बद्रीलाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां